न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टी.ए./784/2006/ सवाईमाधोपुर

मंदिर श्री चेचा के बालाजी विराजमान स्थान भगवतगढ द्वारा व्यवस्थापक एवं प्रबंधक
1– सूरजमल पुत्र सुवालाल जाति ब्राहमण
2– रामदयाल पुत्र आनंदीलाल जाति हिन्दु लुहार
3– बाबूलाल पुत्र नारायण जाति महाजन
समस्त निवासीयान भगवतगढ व अन्य भक्तगण बालाजी विराजमान स्थान भगवतगढ तहसील चौथ का बरबाड़ा जिला सवाईमाधोपुर

अपीलार्थीगण

बनाम

1– समसू पुत्र भूरया जाति मुसलमान तेली निवासी भगवतगढ तहसील चौथ का बरबाड़ा जिला सवाईमाधोपुर

खण्ड–पीठ
श्री सी. आर. मीना, सदस्य
श्री खजान सिंह, सदस्य

उपस्थितः
श्री मुकेश जैन अधिवक्ता अपीलार्थीगण
श्री जी. एस. चारण अधिवक्ता प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांकः 16–12–2022

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा प्रकरण संख्या 303/2003 में पारित निर्णय दिनांक 28–11–2005 के विरूद्ध पेश की गई है।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलार्थी द्वारा न्यायालय उपखंड अधिकारी, सवाईमाधोपुर के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रत्यर्थी इस आशय का पेश किया कि ग्राम भगवतगढ में चेचा के बालाजी के नाम से पुरातन मंदिर है, जिसमें एक सार्वजनिक कुआं और कृषि योग्य भूमि है। विवादित भूमि का पुराना खसरा नंबर रिकार्ड में नहीं है, परंतु नवीन

खसरा नंबर 453 रकबा 9 बिस्वा गैर–मुमकिन चाह के रूप में दर्ज है। विवादित आराजी के सहारे प्रतिवादी का हाल खसरा नंबर 454 रकबा 04 बीघा 13 बिस्वा लगा हुआ है एवं मौके पर दोनों के बीच मैड बनी हुई है। प्रतिवादी ने खसरा नंबर 453 को अपने रकबे में मिलाने की योजना बनाई और वादी से झगड़ा किया तथा रकबे को अपनी खातेदारी में मिलाने की धमकी देते हुए सार्वजनिक धार्मिक मंदिर को गलत प्रकार से प्रतिवादी की खातेदारी में दर्ज कर दिया गया। अतः वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि दावा वादी डिक्री कर खसरा नंबर 453 को वादी के पक्ष में खातेदारी घोषणा की जाये तथा प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाये। परीक्षण न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम करते हुए अपने निर्णय दिनांक 03–11–2003 से वादी का वाद खारिज फरमा दिया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, सवाईमाधोपुर के समक्ष प्रस्तुत की, जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 28–11–2005 से अपील अपीलार्थी खारिज कर दी। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

3– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में बताया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि विवादित आराजी हाल खसरा नंबर 453 चेचा के बालाजी ग्राम भगवतगढ में है। इस भूमि में बालाजी महाराज की भूमि स्थापित है। यह भूमि बगीचीनुमा है, इसका पुराना खसरा नंबर 343 चेचा के बालाजी के नाम से है। पूर्व राजस्व रिकार्ड में खसरा नंबर 412 रकबा 04 बीघा 13 बिस्वा हाल खसरा नंबर 454 पिरया बुद्धा तेली के नाम से है। विवादित चाह सार्वजनिक है और इसमें प्रतिवादी का कोई अधिकार नहीं है। परीक्षण न्यायालय ने तनकी संख्या 1 में विवादित आराजी, जो सार्वजनिक है, को गलत रूप से तय कर दिया। जबकि उन्होंने तनकी को निर्णीत करते समय यह माना है कि ग्राम पंचायत या सरकार खातेदार की आराजी में पैसा लगा सकती है, जो कि स्पष्ट फाइंडिग नहीं होकर मात्र जल्दबाजी में पारित किया गया निर्णय है। अपीलार्थी ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष मिसल हकीयत बंदोबस्त संवत 1988 एक्जीबिट–1 प्रस्तुत कर दी थी, जिसे इग्नोर करते हुए दोनों न्यायालयों ने निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। विवादित भूमि भूलवश प्रतिवादी के नाम दर्ज हो गई थी, जिसे वादीगण दुरूस्त कराने के अधिकारी है। इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा साक्ष्य एवं मौखिक बयान भी कराये गये थे। इसके बाद भी परीक्षण न्यायालय ने तनकी संख्या 3 को निर्णीत करते हुए यह अंकित कर दिया कि अपीलार्थी की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया कि मूर्ति शाश्वत नाबालिग है, जिसके खाते की भूमि धारा 46 आरटी एक्ट के तहत किसी भी अन्य खातेदार के खाते में नहीं लग सकती है। अन्त में उनका कथन है कि विवादित भूमि खसरा नंबर 453 मंदिर की है जिसमें

कुंआ और रास्ता जिसका उपयोग आम जनता कर रहे है। प्रत्यर्थी समसू इस भूमि को अपने खाते में मिलाने की कोशिश कर रहा है। अपीलार्थी द्वारा समस्त दस्तावेज पेश किये गये हैं किन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इसकी अनदेखी की जा रही है। अतः कुंआ एवं रास्ता की भूमि होने बाबत् घोषणा की जानी चाहिए। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, सवाईमाधोपुर का निर्णय दिनांक 28–11–2005 तथा न्यायालय उपखंड अधिकारी, सवाईमाधोपुर का निर्णय दिनांक 03–11–2003 निरस्त फरमाते हुए वादीगण का वाद डिक्री किये जाने के आदेश पारित करें।

4– योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने दौराने बहस कथन किया कि पूर्व में खसरा नंबर 453 तथा 454 एक ही था, जो पीरया तेली के खातेदारी कब्जे काश्त का था। इसे पीरया तेली ने बुद्धा तेली के यहा 25 रूपये में रहन रखा था। रहन संबंधी दस्तावेज मिती मादवा बुदी 9 संवत 1926 का है। चेचा तेली के खेत में ही बालाजी होने से यह बालाजी के नाम से मशहूर रहा है। पूर्व में यह श्री आचरज के यहां रहन रहा है और उन्होंने ही बालाजी की स्थापना कराई थी। इस प्रकार खेत के खातेदारी अधिकार पीरया तेली को प्राप्त हुए, जो प्रत्यर्थी के पितामह थे। खसरा नंबर 453 का रकबा 09 बिस्वा गलती से साबिक नंबर 343 में शामिल हो गया और इस गलती की दुरूस्ती करवाई जा चुकी है। मौके पर बालाजी को कोई मंदिर सार्वजनिक नहीं है बल्कि यह प्रत्यर्थी की खातेदारी में है और बालाजी की नियमित पूजा होती है। अपीलार्थी न तो मंदिर के प्रबंधक है और न ही पुजारी है। व्यक्तिगत मंदिर होने से इन्हें दावा लाने का भी अधिकार नहीं है। उक्त चाह पर बजमाने बुजुर्गान प्रत्यर्थी का कब्जा चला आ रहा है । उक्त भूमि प्रत्यर्थी के कब्जे काश्त की भूमि है तथा अपीलार्थी के नाम कोई राजस्व रिकार्ड दस्तावेज पर उपलब्ध नहीं है। विवादित भूमि कुंआ की है जिसका मैं खातेदार हूं, जिसकी न तो धोषणा नहीं की जा सकती, न ही धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पाबंद किया जा सकता है। मंदिर की भूमि भी मेरी जमीन पर बना हुआ है। परीक्षण न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। इसी प्रकार प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील अपीलार्थी खारिज करने में कोई भूल नहीं की गई। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त करते हुए न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, सवाईमाधोपुर का निर्णय दिनांक 28–11–2005 तथा न्यायालय उपखंड अधिकारी, सवाईमाधोपुर का निर्णय दिनांक 03–11–2003 यथावत रखे जावे।

5– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

6– पत्रावली का अवलोकन करने पर यह ज्ञात होता है कि अपीलार्थी द्वारा एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी, सवाईमाधोपुर के यहा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा, खातेदारी घोषणा प्रस्तुत किया गया।

7– परीक्षण न्यायालय द्वारा तीन तनकीयात कायम की गई तथा तीनों तनकीयात विरूद्ध वादी/अपीलार्थी सिद्ध की गई। परीक्षण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 03–11–2003 द्वारा वादी का वाद खारिज करते हुए अंकित किया गया कि वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससे यह सिद्ध होता हो कि उक्त भूमि सार्वजनिक है। विवादित आराजी पर प्रारंभ से ही प्रतिवादी के पूर्वजों का कब्जा काश्त रहा है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी वादी नहीं है। इस प्रकार वादीगण का वाद खारिज करने के आदेश दिए गए।

8– प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28–11–2005 में अंकित किया गया कि अपीलार्थी अपने पक्ष में किसी प्रकार का राजस्व रिकार्ड पेश नहीं कर पाए हैं। राजस्व रिकार्ड से विवादित आराजी सार्वजनिक प्रयोग की होना भी सिद्ध नहीं होती है। अपीलार्थी न तो मंदिर के पुजारी हैं और न ही मंदिर के प्रबंधक हैं। अतः अपील अपीलार्थी खारिज करते हुए परीक्षण न्यायालय का निर्णय यथावत रखने के आदेश दिए गए।

9– प्रकरण में हालांकि वादी ग्राम पंचायत द्वारा कूप को गहरा करने व मरम्मत कराने के लिए दिनांक 12–02–1961 को उसके द्वारा दी गई राशि 250/–रूपये मात्र का दस्तावेज तथा ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र दिनांक 17–10–82 तथा ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 12–02–1961 के पत्रादि पेश किय गये है परन्तु उक्त पत्रादि पेश करने से यह कतई नहीं माना जा सकता कि बनाया गया कुंआ सार्वजनिक रहा है। गांव में जब कुंआ बनाने की आवश्यकता पड़ती है तो ग्राम पंचायत द्वारा पैसा लगाया जा सकता है।

10– प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में वर्तमान राजस्व राजस्व रिकार्ड में प्रत्यर्थी की खातेदारी पाई जाती है। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से साबिक खसरा नंबर 343 व 412 से हाल खसरा नंबर 453 बनाया गया है। जमाबंदी संवत 1988 में भी साबिक खसरा नंबर 412 पीरया वल्द बुद्धा कौम तेली मुसलमान के नाम से दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज संवत 1926 को देखने से भी यह स्पष्ट है कि आराजी सार्वजनिक उपयोग की न होकर प्रतिवादी के व्यक्ति खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी में चाह स्थित है तथा मंदिर श्री चेचा के बालाजी प्रतिवादी की व्यक्ति आराजी में स्थित है। परीक्षण न्यायालय द्वारा बनाई गई तनकी सं0 1 में जो निर्णय पारित किया गया है उसमें कोई विधिक

त्रुटि नहीं की है। अतः हमारी राय में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी अपने निर्णय में यह स्पष्ट मत अभिव्यक्त किया है कि प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का वादी को किसी प्रकार का अधिकार नहीं, जिससे हम भी सहमत है।

11– चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष एवं इस न्यायालय में भी ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह माना जा सके कि विवादित आराजी पूर्व में मंदिर श्री चेचा के बालाजी के नाम थी। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से विवादित आराजी सार्वजनिक प्रयोग की होना भी सिद्ध नहीं होती है। विवादित आराजी प्रत्यर्थी/प्रतिवादी की व्यक्तिगत खातेदारी की आराजी में रही है। वादी न तो मंदिर के पुजारी है और नही मंदिर के प्रबंधक है। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने समवर्ती निष्कर्ष पारित किये हैं जिनमें हम द्वितीय अपील के जरिये हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं समझते हैं। अतः अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

12– परिणामतः अपील अपील खारिज की जाती है तथा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28–11–2005 बहाल रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(खजान सिंह)
सदस्य

(सी.आर.मीना)
सदस्य